संख्या-132/2025/473/22-2-2023-17(146)/2017टी0सी0

प्रेषकए

मदन मोहनए
विशेष सचिवए
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी,2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश लोध पुत्र श्री ऊदल, निवासी जनपद-कौशाम्बी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5798/प्रो0(6)/223(महिला दिवस,2023), दिनांक 21.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश लोध पुत्र श्री ऊदल जो घाटमपुर, थाना-मोहब्बतपुर पैन्सा, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 05-02-2000 को 09 वर्षीय लड़की कु0 शिवपत्ती खेत में शौच को गयी थी तत्समय अभियुक्त उसे जबरन अरहर के खेत में उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-746/2000 में भा0द0वि0 की धारा 376 के अन्तर्गत मा0 अपर एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-08, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.08.2001 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2018 द्वारा यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2023 तक **23** वर्ष **01** माह **03** दिन की अपरिहार सजा तथा **30** वर्ष **19**दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा कु0 शिवपत्ती (09 वर्ष) को पकड़कर अरहर के खेत में जबरन उठा ले जाकर बलात्कार की घटना कारित की गयी। बन्दी द्वारा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28 जुलाई, 2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नरेश लोध पुत्र श्री ऊदल की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेश लोध (बन्दी संख्या-3052/01) पुत्र श्री ऊदल, निवासी जनपद-कौशाम्बी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीयए
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-132/2025/473(1)/22-2-2023-17(146)/2017टी0सी0तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

2- पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी।

3- वरिष्ठ अधीक्षकए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

4- निजी सचिवए मा0 मंत्रीए कारागार प्रशासन एवं सुधार विभागए उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिवए मा0 राज्यमंत्रीए कारागार प्रशासन एवं सुधार विभागए उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।